कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जवाहर भवन, 6वॉ तल उ0प्र0, लखनऊ

संख्या–एम0ई0–3/यूजी–2022/2589 लखनऊःदिनांक 11 नवम्बर,2022

यू0पी0 नीट यू0जी0–2022 के द्वितीय चक्र की ऑन लाईन कांउसिलिंग की समय–सारिणी

राजकीय/निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/संस्थानों/विश्वविद्यालयों के स्नातक पाठ्यक्रमों (एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0) में प्रवेश हेतु द्वितीय चक्र की समय सारिणी निम्नवत् हैः–

ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन प्रारम्भ होने की तिथि	दिनांक 11.11.2022 को अपरान्ह 04.00 बजे से दिनांक 14.11.2022 को अपरान्ह 02:00 बजे तक
सिक्योरिटी धनराशि जमा करने की तिथि	दिनांक 11.11.2022 को अपरान्ह 04.00 बजे से दिनांक 15.11.2022
मेरिट लिस्ट घोषित करने की सम्भावित तिथि	दिनांक 14.11.2022
ऑनलाईन अभिलेखो के सत्यापन की तिथि	दिनांक 12.11.2022 से दिनांक 15.11.2022
ऑनलाईन च्वाईस फिलिंग की तिथि	दिनांक 16.11.2022 को अपरान्ह 04.00 बजे से दिनांक 18.11.2022 अपरान्ह 02.00 बजे तक
परिणाम घोषित करने की तिथि	दिनांक 20/21.11.2022
आवंटन पत्र डाउनलोड करने एवं प्रवेश लेने की तिथि	दिनांक 21.11.2022 से दिनांक 24.11.2022 तक

- दिव्यांगता प्रमाण पत्र भारत सरकार द्वारा निर्धारित केन्द्रों से जारी प्रारूप पर ही मान्य होगें।
- प्रथम चक्र में पंजीकृत्त अभ्यर्थियों को पुनः पंजीकरण कराये जाने की आवश्यकता नही है।
- जिन अभ्यर्थियो के अभिलेखो का सत्यापन हो चुका है, उन्हे पुनः डाक्युमेन्ट अपलोड करने की आवश्यकता नही है।
- ऐसे अभ्यर्थी, जिनके डाक्युमेन्ट वेरिफाई नही हुए है वह डाक्युमेन्ट अपलोड करते हुए डाक्युमेन्ट वेरिफाई करा सकते है।
- आरक्षण से सम्बन्धित प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा जारी प्रारुप पर ही मान्य होंगे। उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी माने जायेंगे एवं अनारक्षित नीट स्कोर के कट–ऑफ पर ही अर्ह होंगे।
- ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम चक्र की कांउसिलिंग में रजिस्ट्रेशन नही करा सके है, ऐसे अभ्यर्थी रू0 2000/– पंजीकरण शुल्क जमा कर अपना पंजीकरण करा सकते है।
- सिक्योरिटी धनराशि के रूप में राजकीय क्षेत्र के मेडिकल/डेन्टल कालेजों की सीटों हेतु रू0 30,000/– निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों की सीटों हेतु रू0 2,00,000/–तथा निजी क्षेत्र के डेंटल कालेजों की सीटों हेतु रू0 1,00,000/– नेट बैंकिग, क्रेडिट कार्ड व एन0ई0एफ0टी0 के माध्यम से आन–लाईन भुगतान (रजिस्ट्रेशन के उपरान्त) करते हुये काउंसिलिग प्रक्रिया में बैंक द्वारा एमआईएस/भुगतान की पुष्टि होने के उपरान्त ही विकल्प भर सकते है।
- यदि अभ्यर्थी द्वारा रू0 2,00,000/– सिक्योरिटी जमा की जाती है, तो वह राजकीय/निजी क्षेत्र की सभी सीटो हेतु अर्ह है। अभ्यर्थी राजकीय क्षेत्र की सीटो हेतु अपनी अर्हता का स्वयं आंकलन करे।
- ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम चक्र की कांउसिलिंग में पंजीकरण कराया है परन्तु सिक्योरिटी धनराशि नही जमा कर सके है वह अपनी सिक्योरिटी धनराशि जमा कर कांउसिलिंग में प्रतिभाग कर सकते है।
- ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें प्रथम चक्र की काउन्सिलिंग से आवंटन हुआ था, किन्तु प्रवेश नहीं लिया गया है, अथवा प्रवेश लेने के पश्चात् त्याग–पत्र दे दिया है, ऐसे अभ्यर्थी दिनांक 15.11.2022 से पुनः सिक्योरिटी धनराशि जमा कर काउन्सिलिंग मे प्रतिभाग कर सकते है। पूर्व मे जमा धरोहर धनराशि अनुमन्य नहीं होगी।
- राजकीय मेडिकल कालेजों में आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रकिया आवंटित कालेज में सम्पन्न की जायेगी।
- निजी क्षेत्र के कालेजों में आवंटित अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रकिया प्रवेश हेतु नामित नोडल सेन्टरों पर सम्पन्न करने के पश्चात् प्रवेशित कालेजों में रिपोर्ट किया जाना सुनिश्चित करें।
- किसी भी अभ्यर्थी/अभिभावक को काउन्सिलिंग/आवंटन के संबंध मे कोई भी सूचना व्यक्तिगत रूप से नहीं दी जायेगी।
- अन्य महत्वपूर्ण सूचनायें एवं विस्तृत विवरण वेबसाईट ***https://upneet.gov.in & www.dgme.up.gov.in*** पर देखी जा सकती है। अद्यतन सूचनाओं की जानकारी हेतु समय–समय पर उक्त वेबसाईट का अवलोकन करते रहें।

महानिदेशक